वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 103 वीं बैठक

22 दिसम्बर, 2022

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 103 वीं बैठक दिनांक 22 दिसम्बर अपरान्ह 12:15 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द (जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर) में माननीय कुलपति महोदय, डॉ. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में (ऑनलाईन/ऑफलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. डॉ0 कैलाश सोडाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा	अध्यक्ष
2. डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान संत विनोबा पी.जी.कॉलेज, देवरिया–उ0प्र0	सदस्य
3. डॉ0 सतोष कुमार शील देहरादून – उत्तराखण्ड	सदस्य
4. श्री अनुराग भार्गव संभागीय आयुक्त, कोटा प्रतिनिधि (शासन सचिव, वित्त)	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5. प्रो0 अशोक शर्मा, आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुवि	सदस्य
6. प्रो0 बी0 अरूण कुमार निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें) एवं आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुवि	सदस्य
7. डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा निदेशक, क्षे.के., जयपुर	सदस्य

8. श्री महेश चंद मीना नियंत्रक (वित्त) — विशेष आमंत्रित (ऑनलाईन उपस्थित)

9. श्री के.के. गोयल कुलसचिव — सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सदन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों के सकारात्मक एवं प्रत्यक्ष सहयोग से विश्वविद्यालय शैक्षणिक दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा तथा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में भी अभिवृद्धि होगी।

तत्पश्चात कुलसचिव ने माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक का बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया एवं निम्न निर्णय लिए गए।

103/01 प्रबंध मंडल की 100वीं एवं 101वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

(अ) प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2022, 101 वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2022 के कार्यवाही विवरणों का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

(ब) 102 वीं आपात बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन बैठक के तुरंत बाद करवा लिया गया था।

103/02 प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2022 ,101 वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2022 एवं 102 वीं आपात बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के निर्णयों के क्रम में अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ ।

प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक के बिन्दु संख्या 100/1 – के संबंध मे माननीय सदस्य डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी द्वारा जानकारी चाहने पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी.ए.एस का लाभ IGNOU में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय से किसी कार्मिक को IGNOU भेजकर आवश्यक सूचना प्राप्त की जायेगी एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य डॉ. सतोष कुमार शील का सुझाव था कि डॉ. जे.के. शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर को इग्नू भेजकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ताकि इस पर शीघ्र कार्यवाही हो सके।

तत्पश्चात् प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक दिनांक 20 जनवरी, 2022 ,101 वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2022 एवं 102 वीं आपात बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के निर्णयों के क्रम में सदन द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

103/03 विद्या परिषद की 64वीं बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2022 एवं 66वीं बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2022 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 64वीं बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2022 एवं 66वीं बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2022 के कार्यवाही विवरणों का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

103/04 आयोजना मंडल की 17वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

आयोजना मंडल की 17वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2022 के कार्यवाही विवरण का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

103/05 वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 एवं वित्त समिति की 65वीं बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

(अ) वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु संख्या 07(1) पर पारित प्रस्ताव 65 वीं बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2022 के बिन्दु संख्या 15 (2) में समाहित है। अतः वित्त समिति की 65 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15 (2) को प्रभावी करने का निर्णय लिया गया।

(ब) तत्पश्चात् वित्त समिति की 64वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 एवं वित्त समिति की 65वीं बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2022 के कार्यवाही विवरणों का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

103/06 विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप आरक्षण नीति की पालना में शैक्षणिक एवं उसके समकक्ष सवंर्ग की रोस्टर पंजिका के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप आरक्षण नीति की पालना में शैक्षणिक एवं उसके समकक्ष सवंर्ग की रोस्टर पंजिका (जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप) का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

103/07 विश्वविद्यालय कर्मचारियों के Ph.D. केस तथा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों के निदशकों कों Ph.D.Supervisr करने के केस बाबत् प्रबंध मण्डल की 100वीं बैठक में हुए निर्णय के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति एवं तत्पश्चात् कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित जांच समिति के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी।

कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्या 471 दिनांक 12.09.22 के साथ राजभवन द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं की निष्कर्ष रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट पर पालना वास्ते राजभवन के निर्देश भी पत्र में प्रदान किए गए थे। राजभवन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रो0यू0सी0 सांखला समिति को भंग करने एवं उसके द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, जिसकी पालना में समिति की रिपोर्ट को खोला नहीं गया है एवं भविष्य में रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का निर्णय लेते हुए दफ्तर दाखिल करवा दिया गया है।

103/08 नियमित कुलपति नियुक्ति हेतु गठित खोजबीन समिति के अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों को अन्य विश्वविद्यालय में दिए जाने मानदेय की दरों की समान दरों के आधार पर किए गए भुगतान सम्बन्धी आदेश संख्या 369 दिनांक 06.09.22 (अनु0–1 संलग्न) की पुष्टि किया जाना प्रस्तावित है।

सदन द्वारा उक्त आदेश संख्या 369, दिनांक 06.09.2022 की पुष्टि की गई।

103/09 वित्त समिति में सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1887 में वित्त समिति गठन सम्बन्धी प्रावधान के अनुसार वित्त समिति में दो सदस्यों का मनोनयन प्रबधं मंडल द्वारा किया जाना था, किंतु प्रबंध मंडल की बैठक से पूर्व वित्त समिति की बैठक का आयोजन आवश्यक था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम में वर्णित निम्नलिखित शक्तियों के तहत दो सदस्यों को मनोनयन किया गया है:–

8(18) The Vice Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any authority under this act or statutes.

Provided that such action shall be reported to the Authority as should have in the ordinary course dealt with the matter for approval .

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

वित्त समिति के सदस्यों (प्रो0 अशोक शर्मा एवं डा0 सुनील भार्गव) के मनोनयन सम्बन्धी आदेश संख्या 520, दिनांक 09.11.2022 की पुष्टि की गई।

टेबल एजेण्डा

103/10 राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को विश्वविद्यालय कार्मिकों पर लागू करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को विश्वविद्यालय कार्मिकों पर लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति सदन द्वारा प्रदान की गई,जिसमें कार्मिकों के पृथक पृथक प्रकरणों पर राज्य सरकार के समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार निर्णय लिया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

30/12/22

कुलसचिव
सचिव, प्रबंध मंडल